उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-1

संख्या-11/2020/1184/12-1-20-600/06टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री राज्यपाल महोदय, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा, 2017 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (सांख्यिकी शाखा) में वेतन बैण्ड-3 के सादृश्य वेतनमान रू0 15600-39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400/- में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (सांख्यिकी शाखा) सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	गृह जनपद	वर्तमान पता	स्थायी पता	नई तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
1	मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री हंसराज यादव	भदोही	नथईपुर, थाना गोपीगंज, संत रवि दास नगर, उ0प्र0 221304	नथईपुर, थाना गोपीगंज, संत रवि दास नगर, उ0प्र0 221304	सांख्यिकीय अधिकारी, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर
2	सारिका उमराव पुत्री श्री कमलेश कुमार उमराव	फतेहपुर	म0नं0-9 80 फीट रोड, किदवई नगर, कानपुर (अर्बन), उ0प्र0	ग्राम बाबूपुर बाबई, पो0 दीघरूवा, फतेहपुर 212657	सांख्यिकीय अधिकारी, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा
3	हरि शंकर, पुत्र श्री राम विलास मौर्या	लखनऊ	538ए 520, श्री पुरम, त्रिवेणी नगर-।।। लखनऊ, उ0प्र0 226020	538ए 520, श्री पुरम, त्रिवेणी नगर-।।। लखनऊ, उ0प्र0 226020	सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

2. संबंधित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावदिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उ0प्र0 सरकारी आचरण नियमावली, 1956 के (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र, शैक्षिक एवं आय संबंधी प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र दो

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचति हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, आदि सुसंगत अभिलेख लेकर, कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, लखनऊ को विलम्बतम 01 माह के भीतर अपनी योगदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।

5. संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-11/2020/1184(1)/12-1-20-600/06टी0सी0।। व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित अभ्यर्थीगण को उक्तानुसार कार्यभार ग्रहण कराकर उनको प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।
(3) कृषि निदेशक, उ0प्र0 कृषि भवन, लखनऊ।
(4) अपर कृषि निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 कृषि भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।
(6) संबंधित अभ्यर्थीगण द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, लखनऊ।
(7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(8) कार्मिक अनुभाग-4 को उनके पत्र संख्या-आ-471-का-4-2019 दिनांक 21-01-2020 के संदर्भ में।
(9) व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
(10) गार्ड फाइल, कृषि अनुभाग-1

आज्ञा से,

यतीन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in